न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2011 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री मोहनलाल पिता नारायण लाल जी पालीवाल निवासी जावद तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार राजसमन्द
2. नगर पालिका मण्डल राजसमन्द जरिये आयुक्त/अध्यक्ष नगरपालिका मण्डल राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द दिनांक 25–10–2010 प्रकरण संख्या 279/2008 रे.वाद

———/———

1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

3– श्री मुकेश ओस्तवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———/———

निर्णय **दिनांक 16–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जावद में स्थित आराजी नंबर 1096/874 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि में वादी का पिछले 40 वर्षो से कब्जा है। जिसे वादी ने विकसीत किया है, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वह खातेदारी घोषणा का अधिकारी है। अतएव उसे खातेदार घोषित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में दिनांक 23–9–2010 को सरकार की और से खण्डन का जवाबदावा पेश हुआ तथा तनकीयात भी निम्नानुसार कायम की गई :–

1. **आया राजस्व ग्राम जावद, पटवारी हल्का, धोइन्दा तहसील व जिला राजसमन्द की वर्तमान आराजी नंबर 1096/874 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है? .....वादी**
2. **आया वादी आराजी नंबर 1096/874 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर पिछले 40 वर्षो से काबिज होकर भूमि पर काश्त कर रहा है। वादी खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है? .....वादी**
3. **अनुतोष**

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 25–10–2010 को उभयपक्ष की बहस सुनकर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–12–2010 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर पर रेस्पोन्डेन्ट की और से राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की और से एडवोकेट श्री मुकेश ओस्तवाल ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट के वाद अनुसार ही अपील मेमों में उजरात है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायाल की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट नगरीय क्षैत्र में स्थित भूमि पर प्रतिकूल कब्जे व खातेदारी चाहने की सारभूत राहत/घोषणा चाहता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में R.R.T. 2017 (2) पेज 1139 में निम्नानुसार निर्णय/न्यायिक अभिमत पारित किया है :–

''सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 39, नियम 1 व 2 अस्थाई निषेधाज्ञा–प्रार्थना–पत्र खारिज किया–भूखण्डों की नीलामी–याचीगण अतिक्रमी है– प्रतिकूल कब्जा–वर्ष 1989 में भूमि नगरपालिका को सिपुर्द की–बहुत पहले भूमि को आबादी भूमि घोषित की–प्रार्थीगण ने राजस्व वाद खोया–नगर परिषद् का अधिकार, स्वत्व व कब्जा को चुनौती देने हेतु अधिकारिता नहीं–काश्तकारी अिनियम में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं–निर्णीत, याचिका खारिज की।

इस प्रकार माननीय राजस्म मण्डल द्वारा R.R.D.14–6–2017 पेज 352 में निम्नानुार न्यायिक निर्णय/सिद्धान्त पारित किया है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 224–विचारण न्यायालय ने धारा 183, 188 के वाद को काउन्टर क्लेम के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत कर डिक्री पारित की–अपील में उक्त आदेश की पुष्टि–मंडल में वादी अपीलान्ट द्वारा द्वितीय अपील–अभिनिर्धारित–विचारण न्यायालय ने 'एडवर्स पजेशन' के आधार पर डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है–यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदाय नहीं है–अधीनस्थ अदालतों के निर्णय अपास्त है।

उपरोक्त न्यायिक नजीरों से सुस्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं होने बाबत् माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित कर दिया है तथा शहरी क्षैत्रों में राजकीय भूमि पर प्रतिकूल कब्जे को मान्यता नहीं देने के स्पष्ट उच्च स्तरीय न्यायिक निर्देश है। वादी अपीलान्ट का वाद पिथ–एण्ड–सबस्टान्स रूप से शहरी क्षैत्र में राजकीय भूमि पर प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी घोषणा का वाद है, जो स्पष्टतया विधि तथा न्यायिक निर्देशों से प्रतिकूल है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक तथा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–10–2010 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री मोहनलाल पिता नारायण लाल पालीवाल निवासी जावद तहसील व जिला राजसमन्द बनाम **1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द**
2– नगरपालिका मण्डल राजसमन्द जरिये आयुक्त/ अध्यक्ष नगर पालिका मण्डल राजसमन्द

अपील नं0 **08/2011** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **राजसमन्द** ..... मुकाम मुर्क्खे.....**25**.....माह.....**10** **2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**16**..... माह .....**11**..... सन् **2017** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री मुकेश तलेसरा** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजकीय अधिवक्ता व मुकेश ओस्तवाल** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–10–2010 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**16**.... माह ...**11**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।